क्र.8/4361/ना18/4512/2019

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शुजालपुर जिला शाजापुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 02 /अ–2/2018–2019

विशाल जायसवाल पिता सन्तोषलाल
निवासी-इन्दौर तह-इन्दौर ....आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

// आदेश //

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के अन्तर्गत
(आदेश आज दिनांक 16 / 2 /2019 को पारित)

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक विशाल जायसवाल पि. सन्तोषलाल निवासी इन्दौर, तहसील– इन्दौर द्वारा इस न्यायालय में म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 की धारा 59(1) के अन्तर्गत ग्राम–चायनी तहसील कालापीपल भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 832/2 रकबा 1.000 हे. का आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजन के उद्देश्य से भूमि परिवर्तन स्वनिर्धारण की सूचना प्रारुप–एक में मय चालान के प्रस्तुत की गई ।

2. मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र कमांक एफ 2–12/2018/सात/शा 6–मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 संशोधित अधिनियम दिनांक 28 सितम्बर 2018 अनुसार स्वयं भूमिस्वामी द्वारा भूमि उपयोग के व्यपर्वतन तथा स्वयं गणना की जाकर स्वनिर्धारण की सूचना प्रारुप–एक के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के साथ खसरा प्रतिलिपि वर्ष 2018-19, प्रस्तावित स्थल का नक्शा व बैंक में जमा चालान की छायाप्रति प्रस्तुत की गई,जिसमें आवेदक द्वारा म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 59(5) एवं (6) के तहत गणना की गई एवं तदुनसार राशि जमा की गई। प्रकरण विधिवत पंजी अ–2 में दर्ज किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

3. प्रकरण में राजस्व निरीक्षक भूमि परिर्वतन से भूमि परिवर्तन राशि की गणना कराई गई। राजस्व निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन लिया गया, रा.नि. एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि रिक्त है/ ....

4. राजस्व निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 59 के अंतर्गत बनाए गए नियम 3 एवं 5 के तहत निम्नानुसार निर्धारण किया गया –

भूमि सर्वे नं0	रकबा हे. में	प्रयोजन	पुर्ननिर्धारण लगान प्रतिवर्ष (रु. में)	प्रीमियम (रु. में)	पंचायत उपकर प्रतिवर्ष (रु. में)	अर्थदण्ड (रु.में)	आरोपण वर्ष
832/2	1.000	व्यवसायिक	10000=00	30,000=00	5000=00	—	2018-19

1, आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैंक चालान के अनुसार जो प्रीमियम राशि जमा की गई है, वह राशि संशोधित नियम अनुसुची 2 में विनिर्दिष्ट नियम 5 की सारणी क्रमांक 3 अनुसार सही है।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैंक चालान के अनुसार जो पुर्ननिर्धारण लगान राशि जमा की गई है, व राशि संशोधित नियम 2018 की धारा 59 के तहत पुर्ननिर्धारण नियम अनुसूची–एक (नियम 3 ए 5) अनुसार सही है।

न्यायालय तहसीलदार तहसील शुजालपुर

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

16/04/19
तहसील शुजालपुर

3. इस आदेश से आवेदक पर निम्नांकित शर्ते भी अधिरोपित की जाती है, जिनका पालन नहीं किए जाने की दशा में भूमि परिवर्तन निर्धारण निरस्त माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी–

1. किसी भी प्रकार के लोक सुखाचार को अवरोधित नहीं करेगा।
2. जॉच हेतु आवश्यकता पडने पर जॉच अधिकारी की अनुममि तथा अन्य सुसगंत दस्तावेज मॉगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा जॉच में यथोचित सहयोग प्रदान करेगा।
3. आवेदित भूमि पर विद्युत लाईन हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 तथा विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा संबंधित विभागों से अनापत्ति लेना होगा।
4. राजस्व अभिलेख संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि की दशा में यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
5. आवेदित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित विभागों/कार्यालयों से विधिवत अनुमति ली जाना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक शासन/शासकीय विभाग/स्थानीय संस्थाओ द्वारा समय – समय पर जारी निर्देशों/नियमों का पालन करेगा।
7. आवेदित भूमि पर यदि प्रस्तावित निर्माण में बाधक कोई वृक्ष, विद्युत खंबा आदि स्थित है तो उन्हें हटाने के लिए संबंधित विभागों से नियमानुसार अनुमति पृथक से प्राप्त करनी होगी।
8. आवेदक राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्यमार्ग सड़क से निर्धारित दूरी पर ही निर्माण कार्य करेगें तथा निर्धारित दूरी तक भूखण्ड़ रिक्त रखेगा।
9. आवश्यकता प्रतीत होने पर विहित् प्राधिकारी अन्य शर्ते अधिरोपित कर सकेगा।
10. यह पुर्ननिर्धारण आदेश मात्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के अंर्तगत किया जा रहा है। यह आदेश किसी भी प्रकार से भूमि स्वामित्व के विनिश्चयन में सहायक नहीं माना जाएगा तथा भूमि संबंधी विवाद होने पर यह अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।
11. आवेदक समययावधि में प्रतिवर्ष पुर्ननिर्धारण की राशि का भुगतान करेगा।
12. उपरोक्त पुर्ननिर्धारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा स्वनिर्धारण की सूचना के आधार पर उपरोक्त वर्णित शर्तो के अधीन किया जा रहा है। इस आदेश से भूमि का कोई स्वत्व प्रभावित नहीं होगा। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि प्रस्तुत/प्राप्त कोई भी दस्तावेज त्रुटि पुर्ण फर्जी या कुटरचित है अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा विपरीत अभिमत दिया जाता है अथवा उक्त शर्तो का उल्लघन होता है तो पुर्ननिर्धारण स्वमेव निरस्त समझा जावेगा तथा आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. प्रश्नाधीन स्थल पर भूमि का छोटे–छोटे टुकडे में उपविभाजन की अनुमति मान्य नहीं होगी तथा आवेदक बिना अनुमति के भूमि छोटे–छोटे भूखण्डो पर विक्रय नहीं करेगा।
14. आवेदक को भाग 2 नियम अनुसार प्ररूप 'क' में मद 11 में दर्शायी गई राशि की रसीद के साथ [illegible] के व्यपवर्तन का प्रमाण होगी, पावती में कोई बात तय होते ही भूमिस्वामी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 तथ उसके अर्न्तगत बनाए म0प्र0 भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुर्ननिर्धारण) नियम, 2018 के समस्त प्रावधानों के पालन के लिए दायित्वाधीन होगा।

आज दिनांक 16/2/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(पार्थ जैसवाल)
अनुविभागीय अधिकारी
शुजालपुर

पृ.क्रमांक/प्रवाचक–1/2019/ शुजालपुर दिनांक 16/2/19

प्रतिलिपिः–

1– कलेक्टर अधीक्षक भू–अभिलेख परिवर्तित शाजापुर की ओर सूचनार्थ।

2– तहसीलदार तहसील– शुजालपुर .... की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी
शुजालपुर

प्रमाणित
सत्य प्रतिलिपि
16/04/19
हेड [illegible]
तहसील शुजालपुर

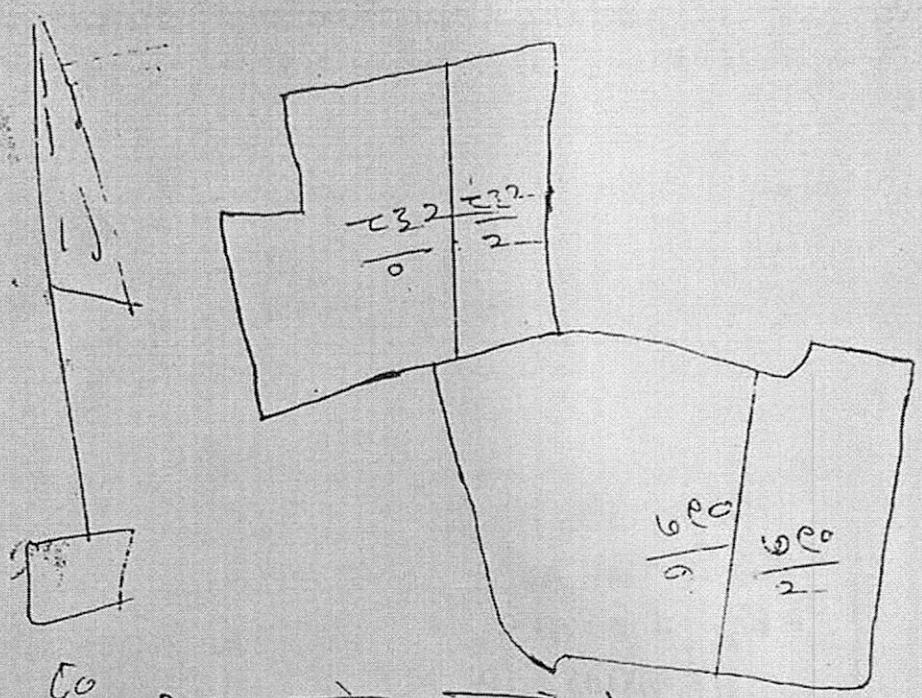

मौजा [illegible] ग्राम [illegible]
प.ह.नं. 26 तह. कालापीपल
जिला शाजापुर (म.प्र.)

[illegible]

प्र.क्र. 77 अ-3 / 17-18
आदेश दिनांक 28-6-18 से स्वीकृत

प्रभारी राजस्व निरीक्षक
तहसील कालापीपल
जिला शाजापुर

तहसीलदार
तहसील कालापीपल
जिला शाजापुर (म.प्र.)

सत्य प्रतिलिपी
हेड कॉपिस्ट
तहसील कालापीपल

5 रु. Rs.5
भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES